

संख्या 3/4/2016-सी.एस.-I(घ) खंड

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

द्वितीय तल, लोकनायक भवन,


खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक: 10 नवंबर, 2017

आदेश

श्री राहुल कश्यप, निदेशक (सीएसएल सं. 4674-ए) को उनके प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तित होने पर तत्काल प्रभाव से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

2. इस विभाग में अधिकारी की तैनाती की अवधि अर्थात 18.10.2017 से इस आदेश के जारी होने तक की अवधि को 'अनिवार्य प्रतीक्षा' के रूप में माना जाएगा और इस अवधि के वेतन और भत्तों का भुगतान अधिकारी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।



(देबब्रत बनर्जी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-24629413

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, (ध्यानाकर्ष: अवर सचिव (प्रशा.)), निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (यू)/अवर सचिव (एपीएआर), डीओपीटी।